

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

रामेश्वर बनाम गिराज कौं

किस्म मुकदमा नं. 2 मु0न0 93/2023

रीख हुक्म

नबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

20/7/23

उपरोक्त अर्शाद निषेध आदेशवला की प्रकाश शर्तों द्वारा पेश की गयी इस उक्त नलबी की जाये। बाकी इन्तजा तामील दि० 26/7/23 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

26/7/23

पत्रावली पेश हुई, वकीलों द्वारा कार्य स्थगत/P.O सा. राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 26 को पेश हो।

26/7/23

उपरोक्त आदेशवला के नीचे निषेध पर पत्रावली नलबी की गयी पत्रावली का निषेध स्थगित कर पत्रावली पर आदेश निषेध स्थगित किया जाये। पत्रावली केवल शुभाहल केवल सेपरेट।  
उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा) 26/7/23